

न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

सत्र प्रकरण क्र.148 / 17

संस्थित / प्रस्तुति दिनांक 07.07.17

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना-एण्डोरी, तहसील
गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

बनाम

1. रामभजन जाटव पुत्र नादरी प्रसाद जाटव आयु
59 वर्ष निवासी ग्राम आलौरीपुरा थाना एण्डोरी
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. आकाश जाटव पुत्र रामभजन जाटव आयु 20
वर्ष निवासी ग्राम आलौरीपुरा थाना एण्डोरी
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. अविनाश उर्फ गुरुवचन जाटव आयु 25 वर्ष
पुत्र रामभजन जाटव निवासी ग्राम आलौरीपुरा
थाना एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल
आपराधिक प्रकरण क्र. 274 / 17 में पारित उपार्षण आदेश दिनांक 30.06.17 से उत्पन्न सत्र
प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अति.लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता।

// आदेश //

**(अंतर्गत धारा 232 दण्ड प्रक्रिया संहिता)
(आज दिनांक 10.10.17 को पारित)**

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 326 सहपठित 34 के दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम आलौरीपुरा में अपने मकान के समाने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दशरथ जाटव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने घातक/खतरनाक हथियार हसिए से फरियादी दशरथ जाटव को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग फरियादी दशरथ जाटव रामभजन को दिए उधारी के 10,000/-रुपए मांगने रामभजन के घर गया, तब घर के बाहर उसने रामभजन से कहा कि उसके 10,000/-रुपए दे दो तो रामभजन ने उसे मां बहिन की अश्लील गालियां दी, गालियां देने से मना करने पर रामभजन जाटव ने फरियादी दशरथ को पकड़ लिया और अविनाश उर्फ गुरुवचन जाटव ने उसके हसिया मारा जो उसके होंठ में लगा जिससे उसका होंठ कट गया और दांत टूट गया। आकाश पुत्र रामभजन जाटव ने उसे लाठियां मारी जो कि उसकी पीठ में लगी जिससे मुंड़ी हुई चोट आई। वह चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उसका भाई भीमराव जाटव व धर्मेन्द्र जाटव आ गए, जिन्होंने उसे बचाया। अभियुक्तगण ने जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में प्र0पी0-04 के रूप में दर्ज कराई गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/17 अंतर्गत धारा-326, 323, 294, 506 एवं 34 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। फरियादी दशरथ का मेडीकल परीक्षण कराया गया, जिसमें उसका दांत टूटा पाया गया।

3. दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-05 बनाया गया। दिनांक 07.03.17 को फरियादी का प्र0पी0-06 का दिनांक 08.03.17 को धर्मेन्द्र जाटव का प्र0पी0-07 का तथा भीमराव का प्र0पी0-08 का कथन लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन का प्र0पी0-02 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। आकाश सिंह से एक बांस की लाठी जप्त की गई एवं अविनाश से एक लोहे का हसिया जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-03 बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण उपार्पण होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

5. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.10.17 को अभियुक्तगण एवं फरियादी के मध्य राजीनामा होने के कारण अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-323/34, 504 एवं 506 भाग-02 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। परंतु धारा-326 भा0दं0सं0 राजीनामा योग्य न होने के कारण उक्त अपराध के तहत अभियुक्त का विचारण चला।

6. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम आलौरीपुरा में अपने मकान के सामने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दशरथ जाटव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने घातक/खतरनाक हथियार हसिए से फरियादी दशरथ जाटव को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

— :: सकारण निष्कर्ष :: —

7. फरियादी दशरथ सिंह अ0सा0-02 ने यह बताया है कि दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे वह अपने पड़ोसी रामभजन से अपने बीमे के 10,000/-रुपए मांगने गया था तो रामभजन और उसके पुत्र अभियुक्त अविनाश ने कहा कि इस समय उनके पास पैसे नहीं हैं बाद में दे देंगे। इसी बात पर से रामभजन, अविनाश और आकाश से मुंहवाद हुआ था और हाथापाई हुई थी और अभियुक्तगण ने उसकी लात घूसों से मारपीट की थी।

8. परंतु दशरथ सिंह अ0सा0-02 ने यह बताया है कि वह डर कर भागा तो पास में रखे खण्डे, पत्थरों पर वह गिर पड़ा जिससे होंठ में और दांत में चोट आई थी, उस जमीन पर गिरा देखकर अभियुक्तगण भाग गए थे। कुछ देर बाद उसके भाई भीमराव जाटव और धर्मेन्द्र जाटव आ गए थे जो उसे घटनास्थल से उठाकर घर पर लाए थे। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना एण्डोरी में थी जो प्र0पी0-04 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-05 बनाया था और उसका बयान लिया था। इस प्रकार फरियादी दशरथ सिंह अ0सा0-02 ने संपूर्ण घटना की पुष्टि की है। परंतु अभियोजन कहानी अर्थात् हसिया से अविनाश उर्फ गुरुवचन द्वारा उसके मुंह में चोट पहुंचा कर दांत तोड़ना नहीं बताया है। इसी कारण अभियोजन की ओर से उसे पक्षविरोधी घोषित किया गया।

9. अभियोजन की ओर से दिए जाने वाले सभी सुझावों से दशरथ सिंह अ0सा0-02 ने इन्कार किया है और इस बिन्दु पर प्र0पी0-06 का ए से ए भाग का कथन और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-04 के बी से बी भाग की बात अर्थात् अविनाश उर्फ गुरुवचन के द्वारा हसिया मारकर होंठ में चोट पहुंचाने एवं दांत टूटने के तथ्य नहीं लिखाया जाना बताया है और न्यायालय में भी ऐसा कथन नहीं किया है। इस प्रकार धारा-326 भा0दं0सं0 के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने लात घूसों के अलावा कोई मारपीट नहीं की

थी।

10. इसी प्रकार धर्मेन्द्र अ0सा0-03 एवं भीमराव अ0सा0-04 ने भी दशरथ को खण्डे पत्थरों पर गिर कर मुंह के पास होंठ में चोट आना बताया है। उन्हें भी अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है तथा अभियोजन की ओर से दिए जाने वाले सुझावों से इन्कार किया है। इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि अविनाश उर्फ गुरुवचन ने उनके भाई दशरथ को हंसिया मारा, जिससे दशरथ का होंठ कट गया और दांत टूट गया। हंसिया से मारने वाले तथ्य धर्मेन्द्र अ0सा0-03 ने पुलिस कथन प्र0पी0-07 में भी नहीं लिखाया जाना बताया है। इसी प्रकार भीमराव अ0सा0-04 ने भी प्र0पी0-08 का कोई कथन नहीं देना बताया है।

11. इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने और चक्षुदर्शी साक्षी ने तथा स्वयं आहत दशरथ अ0सा0-02 ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का शेष मामला यह था कि अविनाश ने दशरथ के मुंह में हंसिया मारकर होंठ में चोट पहुंचाई तथा दांत तोड़ दिया, जिसके संबंध में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-01, मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-02 तथा जप्तीपंचनामा प्र0पी0-03 के साक्षी सुभाष सिंह अ0सा0-01 ने भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों एवं साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं आये है।

13. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम आलौरीपुरा में अपने मकान के सामने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी दशरथ जाटव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने घातक/खतरनाक हथियार हंसिया से फरियादी दशरथ जाटव को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

14. फलस्वरूप अभियुक्तगण रामभजन सिंह जाटव, अविनाश उर्फ गुरुवचन जाटव एवं आकाश जाटव को भा0दं0सं0 की धारा-326 सहपठित 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते

हैं।

15. अभियुक्त रामभजन जाटव को दिनांक 28.04.17 को, आकाश जाटव को दिनांक 13.05.17 को एवं अविनाश उर्फ गुरुवचन जाटव को दिनांक 20.06.17 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रामभजन को दिनांक 28.04.17 को ही जमानत पर रिहा किया गया है तथा दिनांक 13.05.17 को अभियुक्त आकाश को जमानत पर रिहा किया गया है। अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन को दिनांक 01.07.17 को जमानत पर रिहा किया गया है। अभियुक्तगण के धारा 428 दं.प्र.स. के तहत प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किए जावे।

16. प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लाठी एवं हसिया बाद मियाद अपील नष्ट किए जावे।

17. आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित,

मेरे बोलने पर टंकित ।

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड